इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद,

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

सेवा में,

(1) नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद।
(2) पुलिस अधीक्षक–यातायात, इलाहाबाद।
(3) मुख्य अभियन्ता–विद्युत, इलाहाबाद।
(4) उप निदेशक फायर, इलाहाबाद।
(5) मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इलाहाबाद।
(6) वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी इलाहाबाद।
(7) मण्डलीय अभियन्ता, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
(8) अधिशासी अभियन्ता, जलकल विभाग (नगर निगम) इलाहाबाद।
(9) क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इलाहाबाद।

पत्रांक : 95/प्र0अ0(अनु0)/वि0प्रा0/2016 दिनांक 21 जून, 2016

विषय :–इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत दाखिल मानचित्रों के निस्तारण के क्रम में आवश्यक विभागो की अनापत्तियाँ प्राप्त होने के कम में संयुक्त स्थल निरीक्षण किये जाने के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निदेशक, आवास बन्धु के पत्र सख्या–MS-35/8–3–16–36 विविध/2016 दिनांक 02 जून, 2016 के द्वारा प्रदेश मे Ease of Doing Business के दृष्टिगत डी0आई0पी0पी0 भारत सरकार द्वारा की गयी अपेक्षाओं (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित) को पूर्ण करने हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 09.05.2016 को आयोजित बैठक में मानचित्र स्वीकृति विषयक निम्नांकित प्रकिया एडाप्ट किये जाने हेतु सूचित किया गया है :–

(1) Mandate conducting a single joint sit inspection by government authorities responsible for granting construction permits. के बिन्दु पर किन्हीं आवेदक द्वारा प्राधिकरण/परिषद में प्रस्तुत मानचित्र को स्वीकृति प्रदान करने की प्रकिया मे प्राधिकरण/परिषद के कार्मिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। इसी प्रकिया मे अन्य विभागों, जिनसे प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाता है, द्वारा भी विभागों, जिनसे प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाता है, द्वारा भी स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। इस व्यवस्था को जनहित में सरल करते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि मानचित्र स्वीकृति की प्रकिया मे अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि समस्त सम्बन्धित विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाय तथा इसकी सूचना आवेदक को भी दी जाय।

–2

यहाँ यह स्पष्ट करना समीचीन है कि निजी विकासकर्ताओं द्वारा ले–आउट प्लान्स/आवासीय (ग्रुप हाउसिंग सहित) औद्योगिक एवं व्यवसायिक योजनाओं के मानचित्र की स्वीकृति के कम में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानानुसार एवं भूखण्ड के भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत कतिपय विभागो से अनापत्तियाँ प्राप्त की जाती है। सम्बन्धित विभागो से अनापत्तियाँ प्राप्त होने वाले विलम्ब एवं प्रक्रियागत दुरूहता का संज्ञान लेते हुए प्रकिया में सरलीकरण हेतु शासन द्वारा उपरवर्णित प्रकिया के अधीन सम्बन्धित विभागो के अधिकारी–गण द्वारा तयशुदा तिथि पर संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया जाना है, ताकि अनापत्ति दिये जाने की प्रकिया में पारदर्शिता रहे एवं अनावश्यक विलम्ब न होने पाये। वर्तमान में प्रचलित प्रक्रियानुसार सम्बन्धित विभागो द्वारा अलग–अलग तिथि एवं समय पर अनापत्ति हेतु स्थल निरीक्षण किया जाता है, जिससे समस्त विभागो की अनापत्तियाँ प्राप्त होने में समय एवं संशाधन का अपव्यय होता है।

उक्त प्रकिया को अंगीकृत किये जाने के क्रम में अनुरोध है कि कृपया प्राप्त प्रस्तावों पर संयुक्त निरीक्षण हेतु अपने विभाग से एक वरिष्ठ अधिकारी नामित करते हुए नामित अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर से प्राधिकरण को दिनांक 30.06.2016 तक अवगत कराने का कष्ट करे। यह भी अनुरोध है कि नामित अधिकारी के अवकाश पर होने पर कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु लिंक अधिकारी भी नामित कर दिया जाय तथा लिंक अधिकारी का भी नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर से भी अवगत करा दिया जाय। प्राप्त प्रस्तावो (मानचित्र) पर आवश्यक विभागो के नामित अधिकारी–गण द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। संयुक्त स्थल निरीक्षण के दौरान यदि कोई आपत्ति पायी जाती है तो आवेदक को तत्समय ही सूचित कर दिया जाना उचित होगा एवं यदि पुनः स्थल निरीक्षण की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसी समय तिथि एवं समय तय करते हुए आवेदक को भी अवगत करा दिये जाने से अपेक्षित परिणाम परिलक्षित होगा एवं शासन की मंशा के अनुरूप मानचित्रों का निस्तारण सुगम एवं समयबद्ध रूप से हो सकेगा। संयुक्त स्थल निरीक्षणउपरान्त एक सप्ताह में अनापत्ति/आपत्ति प्रेषित कर दी जाय तथा इस समयावधि में जवाब प्राप्त न होने पर यह माना जायेगा कि विभाग को कोई आपत्ति नही है अर्थात् डीम्ड अनापत्ति मानी जायेगी। तदनुसार मानचित्र निस्तारण की कार्यवाही पूर्ण कर दी जायेगी।

अतएव उपरवर्णित प्रकिया के सफल क्रियान्वयन में आपका सहयोग भी अपेक्षित है, ताकि इलाहाबाद विकास क्षेत्र में नियोजित विकास में जन–सामान्य की अधिकाधिक भागीदारी हो सके।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
उपाध्यक्ष